

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

मो0 एस0 आई0 फैसल
विशेष सचिव-सह-निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना, दिनांक -

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम अन्तर्गत अल्पसंख्यकों के बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम के तहत पूर्वी चम्पारण, नालन्दा, किशनगंज, सीवान एवं मधुबनी जिलों के लिए केन्द्र द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश की प्रथम किस्त की कुल राशि ₹ 170.40 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख चालीस हजार) रुपये मात्र की व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या-13/395/2017, 13/398/2017, 13/396/2017, 13/400(4)/2017 एवं 13/397/2017, दिनांक 30.11.2017 के आलोक में पूर्वी चम्पारण, नालन्दा, किशनगंज, सीवान एवं मधुबनी जिलों के लिए स्वीकृत उल्लिखित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश की प्रथम किस्त की कुल राशि ₹ 170.40 लाख (एक करोड़ सत्तर लाख चालीस हजार) रुपये मात्र विमुक्त किया जाता है। जिसे निम्नवत् स्तंभ 9 के अनुरूप व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला का नाम	परियोजना का नाम	इकाई की संख्या	इकाई लागत	भारत सरकार से स्वीकृत कुल राशि	केन्द्रांश की राशि	राज्यांश की राशि	केन्द्रांश की प्रथम किस्त हेतु विमुक्त राशि की व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पूर्वी चम्पारण	प्रखण्ड मुख्यालय बंजरिया, छोड़ादानो एवं रामगढ़वा में सद्भाव मंडप का निर्माण	3	71.00	213.00	127.80	85.20	63.90
2	नालन्दा	बिहार शरीफ (एम.) में सद्भाव मंडप का निर्माण	1	71.00	71.00	42.60	28.40	21.30
3	किशनगंज	कोचाधामन में सद्भाव मंडप का निर्माण	1	71.00	71.00	42.60	28.40	21.30
4	सीवान	हुसैनगंज प्रखंड अन्तर्गत ग्राम पंचायत चाप एवं सीवान (एम.) में सद्भाव मंडप का निर्माण	2	71.00	142.00	85.20	56.80	42.60

क्र०	जिला का नाम	परियोजना का नाम	इकाई की संख्या	इकाई लागत	भारत सरकार से स्वीकृत कुल राशि	केन्द्रांश की राशि	राज्यांश की राशि	केन्द्रांश की प्रथम किरत हेतु विमुक्त राशि की व्यय की स्वीकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	मधुबनी	कलुआही प्रखंड अन्तर्गत हरीपुर मजहरई में सद्भाव मंडप का निर्माण	1	71.00	71.00	42.60	28.40	21.30
			8		568.00	340.80	227.20	170.40

2. उपर्युक्त स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्यय मुख्यशीर्ष- 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष 80- सामान्य लघु शीर्ष 051 निर्माण मांग संख्या - 03 उपशीर्ष- 0221- अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम, विपत्र कोड 03-4059800510221, विस्तृत शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य- विषय शीर्ष-01- मुख्य निर्माण कार्य पी0एफ0एम0एस0 कोड- 9175 के अन्तर्गत केन्द्रांश के बजट में प्रावधानित राशि के व्यय की स्वीकृति तथा वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापक 2199 वि० (2) दिनांक 24.3.2017 में निहित प्रावधान के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिये विकल्पनीय होगा।

3. स्वीकृत राशि की निकासी वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में भवन निर्माण विभाग के माध्यम से आवश्यकतानुसार संबंधित कोषागार से की जायगी। इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भवन निर्माण विभाग के सक्षम पदाधिकारी होंगे जिसे भवन निर्माण विभाग के द्वारा विनिर्दिष्ट किया जायगा।

4. इस योजना अंतर्गत वित्त विभाग के पत्रांक 4989 वि० (2) दिनांक 16.05.2013 की सभी कंडिकाओं का अनुपालन संबंधित विपत्र में आपेक्षित होगा।

5. योजना का कार्यान्वयन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में स्वीकृत व्यय की राशि को उपयोगित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित योजना के फोटो एवं त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन सहित विभाग को भेजना सुनिश्चित किया जाय।

6. इस राशि की निकासी हेतु अलग से आवंटन आदेश की आवश्यकता नहीं है। भवन निर्माण विभाग द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के बजट में प्रावधानित राशि के अन्तर्गत संबंधित कार्य प्रमण्डल को राशि आवंटित की जाएगी।

7. उपर्युक्त पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

ज्ञापक :- पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

विशेष सचिव-सह-निदेशक

आपेक्षित :- 386 पटना, दिनांक - 13.12.17

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, नालन्दा, किशनगंज, सीवान एवं मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि कार्यान्वयन एजेन्सी के शीघ्र स्थल उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

गोड पोस्ट/ ईमेल

क्रमांक 61

दि० 01-02-2018

विशेष सचिव-सह-निदेशक

प्रतिलिपि :- आर्डर ऑफ डेमांड भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
आज्ञापरक सह मुख्यालय सह उपलब्ध कराने के लिए विभाग